(01)

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योस्था07 / 1–05 / 2024 3720 / यो0वि0,पटना,दिनांक 08 जुलाई, 2024

प्रेषक,

रणजीत कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः **योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अंतर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों में सेवानिवृत नियमित कनीय अभियंता (असैनिक) का संविदा पर नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति बिहार में प्रकाशित होने वाले दैनिक हिन्दी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार से सेवानिवृत नियमित कनीय अभियंताओं (असैनिक) के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति की पाँच–पाँच प्रतियाँ सी0डी0 सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि बिहार में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में अतिशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

(प्रेस विज्ञप्ति सूचना पाँच–पाँच प्रतियाँ सी0डी0 सहित)

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 5/7/24

(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

।। योजना एवं विकास विभाग, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर (संविदा के आधार पर) नियोजन हेतु विज्ञापन/सूचना।।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध कुल–542 पदों पर कार्यहित में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार राज्य से सेवानिवृत इच्छुक नियमित कनीय अभियंताओं (असैनिक) से निम्नांकित शर्त्तों के साथ आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

कुल रिक्तियों की संख्या :– 542 (वास्तविक नियोजन के समय आरक्षण संबंधी प्रवृत्त नियमों के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की संख्या निर्धारित की जायेगी)।

नोट :– आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत एवं प्रवृत्त नियमों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

अर्हता :– बिहार सरकार के किसी भी विभाग से सेवानिवृत नियमित कनीय अभियंता (असैनिक)।

मानदेय :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार मासिक मानदेय देय होगा।

शर्त्तें :–

1. संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः 02 (दो) वर्ष अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में से जो पहले हो) तक के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक–एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

2. आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की उम्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को 60 वर्ष से कम एवं 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र संख्या–3815 दिनांक–11.03.2016 द्वारा संसूचित दिशा–निर्देशों के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा। विभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जायेगा।

१०

4. प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में नियोजन हेतु पदवार पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पर विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में नियोजन किया जाएगा।

5. आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख/कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :

(i) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) पी0 पी0 ओ0 (पेंशन स्वीकृत्यादेश) की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) सेवा इतिहास (पूर्ण पदस्थापन विवरणी सहित)।

(iv) पहचान पत्र यथा आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट आदि

(v) नवीनतम पासपोर्ट साईज का दो फोटोग्राफ।

6. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।

7. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि :–

(क) उनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।

(ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।

(घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप आपराधिक मामले दर्ज नहीं है।

8. आवेदक का नियोजन होने के फलस्वरूप उनका पदस्थापन विभाग के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय/कार्य प्रमंडल में किया जायेगा। इस पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

9. नियमित नियुक्ति के उपरांत पदस्थापन होते ही इस विज्ञापन के तहत संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

10. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सुरक्षित रहेगा।

11. आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा तथा इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार/दावा मान्य नहीं होगा।

12. इच्छुक सेवानिवृत्त कनीय अभियंता निम्नलिखित प्रारूप में सादे कागज पर टंकित आवेदन **अवर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना–800015, (E-mail-Secy-plandev-bih@nic.in) को दिनांक– 10.08.2024 के अपराह्न 05:00 बजे** तक हाथों–हाथ या डाक के माध्यम से भेज सकते है। निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों, अधूरे भरे गये आवेदन पत्रों एवं बिना वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

88

सेवानिवृत कनीय अभियंता (असैनिक) का संविदा के आधार पर योजना एवं विकास विभाग, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम (अग्रेजी में) :–
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–
4. पिता / पति का नाम :–
5. जन्म तिथि :–
6. लिंग :–
7. आरक्षण की कोटि :–

   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा)
8. शैक्षणिक योग्यता :–
9. कार्य अनुभव :–
10. पत्राचार का पता :–
11. स्थायी पता :–
12. मोबाईल नं0 / ई0मेल :–
13. सेवा / संवर्ग जिससे सेवानिवृत्त हुए है :–
14. सेवानिवृत्ति की तिथि :–
15. अंतिम पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है :–

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई निगरानी मामला / विभागीय कार्यवाही / विचाराधीन गंभीर आरोप / आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इस आवेदन में अंकित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। भविष्य में यदि मेरे द्वारा समर्पित कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी / नियोजन बिना कोई सूचना के रद्द करते हुए विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर